



बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर

परिसर : राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)

क्रमांक:- प.07(169)/बोम-5/बीविबी/2006/

दिनांक:

विषय :- प्रबन्ध मण्डल की पंचम बैठक का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

इस पत्र के साथ दिनांक 27.09.06 को आयोजित बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रबन्ध मण्डल की पंचम बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


कुलसचिव 27/9/06

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर

प्रबन्ध मण्डल की पंचम बैठक दिनांक 27.9.2006 का कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की पंचम बैठक दिनांक 27.9.2006 को प्रातः 11.30 बजे सी.ए.डी. सभागार, बीकानेर में आयोजित की गई जिसमें संलग्न परिशिष्ट (अ) के अनुसार माननीय सदस्य गण उपस्थित रहे ।

बैठक में सर्वप्रथम नवागन्तुक कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष का माननीय सदस्यगणों द्वारा स्वागत किया गया । तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेण्डा की बिन्दुवार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

बैठक में हुए विचार-विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है : -

1. गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि :-

गत बैठक दिनांक 19.4.06 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से की गई । माननीय सदस्य श्री धर्मचन्द जैन द्वारा दिनांक 6.1.2006 को प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में यह अवगत कराया कि उनके द्वारा दिये गये सुझाव तथा चर्चा को बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्ज नहीं किया गया तथा बैठक का कार्यवाही विवरण भी उचित प्रकार, विस्तृत रूप से सभी बिन्दुओं को सम्मिलित कर नहीं बनाया गया है । जिस पर सदस्य सचिव द्वारा यह अवगत कराया कि गत बैठक दिनांक 19.4.2006 की कार्यवाही का विवरण विस्तृत रूप से दिया गया था । फिर भी अध्यक्ष महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया कि बैठक का कार्यवाही विवरण विस्तृत रूप से लिखा जाकर ही जारी किया जावेगा । माननीय सदस्यों द्वारा उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

2. बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर की सामान्य मुद्रा का अनुमोदन :-

माननीय सदस्यगणों को बीकानेर विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा जिसमें "बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर - उगता हुआ सूरज, दीपक, खुली पुस्तक एवं एंटीना रिसीवर, वर्ष 2003 तथा "सर्वेषां भूषणं विद्या" अंकित है, की प्रतियां उपलब्ध करवाई गई । माननीय सदस्य श्री धर्मचन्द जैन तथा डॉ. बी.पी. सारस्वत द्वारा बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के नामवृत्त में सफेद रंग के स्थान पर ऊँ (केसरिया) कलर Back Ground में भरने के संबंध में सुझाव दिया गया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का अनुमोदन किया गया

3. बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के झंडे का अनुमोदन :-

2

बीकानेर विश्वविद्यालय का झण्डा जिसकी लम्बाई 66 इंच एवं चौड़ाई 44 इंच, झण्डे के ऊपरी भाग में University of Bikaner, मध्य भाग में विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा तथा निचले भाग में Bikaner (Rajasthan) अंकित है तथा यह झण्डा साटन के गहरे कैमल कलर के कपड़े से बना है जिस पर विश्वविद्यालय का नाम एवं सामान्य मुद्रा, रॉयल ब्लू कलर से अंकित है। विश्वविद्यालय का झण्डा अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तावित किया गया जिसका माननीय सदस्यगणों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

4. बीकानेर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक दिनांक 01.06.06 की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :-

बीकानेर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद दिनांक 1.6.06 की कार्यवाही विवरण से सदस्य सचिव द्वारा माननीय सदस्यगणों को अवगत कराया गया। जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

5. शोध नियमों में आंशिक परिवर्तन का अनुमोदन :-

बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न आदेशों के द्वारा शोध नियमों में कुछ संशोधन किया गया। इन 11 संशोधनों के संदर्भ में लिये गये निर्णयों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	मूल प्रावधान	वर्तमान परिवर्तित प्रावधान	
1.	शोधार्थी के कार्य प्रारंभ करने की तिथि प्राचार्य द्वारा आवेदन अग्रेषण करने व विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति पत्र जारी होने के बीच की कोई भी तिथि 8(iii)	शोधार्थी के कार्य प्रारंभ करने की तिथि विश्वविद्यालय में आवेदन प्राप्त होने व विश्वविद्यालय की शोध समिति द्वारा स्वीकृति होने के बीच की कोई भी तिथि स्वीकार्य है।	अनुमोदन किया गया।
2.	यदि किसी शोधार्थी का शोध निर्देशक विश्वविद्यालय या कॉलेज छोड़ देता है तो ऐसे शोधार्थी को उनके अधीन इस परिस्थिति में कार्य जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है यदि उसने पंजीकरण के बाद एक वर्ष कार्य कर लिया है। (6)	यदि किसी शोध निर्देशक का स्थानान्तरण किसी स्नातक महाविद्यालय में भी हो जाता है तो उनके अधीन पंजीकृत शोधार्थी मूल महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति से कार्य जारी रख सकता / सकती है। ऐसी स्थिति में शोधार्थी की उपस्थिति को विभागाध्यक्ष/ प्राचार्य प्रमाणित करेंगे।	उक्त संशोधन मूल महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति के संबंध में सदस्यगणों द्वारा एतराज किया गया। तत्पश्चात् बाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया कि इस संशोधन परिवर्तन में ही "मूल महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति से" शब्द को प्रत्याहरित किया जाकर संशोधित आदेश जारी कर दिया जावे।

3.	पंजीकरण हेतु शोधार्थी को शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण हेतु बुलाया जाएगा । 8(ii)	प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था समाप्त की जाती है । शोध प्रस्तावों की समीक्षा कुलपति द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी ।	अनुमोदन किया गया ।
4.	विश्वविद्यालय द्वारा शोधार्थी से रु. 300 प्रति माह शुल्क लेने का प्रावधान था (Appendix II) जिसे बाद में रु.100 प्रति माह, दो वर्ष के लिए कर दिया गया था ।	विश्वविद्यालय द्वारा मासिक शुल्क की वसूली अगस्त 2006 व इसके बाद के आवेदकों के लिये समाप्त कर दी गई है ।	अनुमोदन किया गया ।
5.	शोधार्थी के लिए शोध निर्देशक के मुख्यालय पर प्रति वर्ष 200 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है । (9)	200 दिन प्रति वर्ष की उपस्थिति में शोधार्थी द्वारा फील्ड वर्क व पुस्तकालय उपयोग हेतु मुख्यालय से बाहर बितायी गयी अवधि भी सम्मिलित है, जिसे शोध निर्देशक प्रमाणित करते हो ।	अनुमोदन किया गया ।
6.	विशेष परिस्थिति में किसी शोधार्थी को अपने ही संकाय के संबंधित विषय में (स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण विषय के अतिरिक्त) कार्य करने की अनुमति स्टेडिंग कमेटी की स्वीकृति से प्रदान की जा सकती है (I-D) । कुलपति की स्वीकृति से किसी शोध निर्देशक को अन्य संबंधित विषय में भी शोध निर्देशक स्वीकार किया जा सकता है यदि उस क्षेत्र में शोध निर्देशक का उल्लेखनीय योगदान हो । (4-i)	अन्तर्विषयक शोध की सुविधा के लिए शोधार्थी अपने स्नातकोत्तर कक्षा के विषय से संबंधित अन्य विषय में भी आवेदन कर सकते हैं तथा इनका पंजीकरण कुलपति की स्वीकृति मिलने पर संभव होगा । इस हेतु यदि शोध निर्देशक आवश्यक समझे तो, सहशोध निर्देशक भी सम्मिलित किया जा सकता है जिसके लिए आवश्यक कारण बताना होगा । सहशोध निर्देशक भी विश्वविद्यालय का मान्य शोध निर्देशक होना चाहिए ।	अनुमोदन किया गया ।
7.	कोई प्रावधान नहीं ।	ऐसे शोध निर्देशक जिन्हें पूर्व में शोध निर्देशन का अनुभव नहीं है , विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत होने के बाद प्रथम वर्ष में अपने अधीन दो से अधिक शोधार्थी का पंजीकरण नहीं करवा सकेंगे ।	अनुमोदन किया गया ।

8.	शोध निर्देशक बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं की बाध्यता । (3(ii))	म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर में पूर्व में रहे शोध निर्देशक जो अब बीकानेर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत हैं, को आवेदन करने पर वि.वि. का शोध निर्देशक स्वीकार कर लिया जाएगा, इन पर गोष्ठियों में भाग लेने व शोध पत्र प्रकाशन जैसी बाध्यताएं लागू नहीं होगी ।	अजमेर के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोध निदेशक जोड़कर अनुमोदन किया गया ।
9.	बीकानेर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक ही शोध निर्देशक बनने के अधिकारी । (3-i,ii)	उत्कृष्ट श्रेणी के ख्यातिनाम विद्वान जो बीकानेर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों से बाहर अवस्थित हों, को भी कुलपति महोदय की अनुमति से बीकानेर वि.वि. का शोध निर्देशक बनाया जा सकता है ।	माननीय सदस्य श्री धर्मचन्द जैन द्वारा उत्कृष्ट श्रेणी के सेवानिवृत्त ख्यातिनाम विद्वानों को इस प्रावधान के अन्तर्गत लिया जाने की जानकारी चाही जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि केवल सेवारत विद्वान को ही शोध निर्देशक बनाया जा सकता है । अतः यह निर्णय लिया गया कि उत्कृष्ट श्रेणी के सेवारत ख्यातिनाम विद्वान को ही कुलपति की अनुमति से बीकानेर विश्व विद्यालय का शोध निर्देशक बनाया जावे ।
10.	शिक्षक अभ्यार्थी परिभाषित नहीं ।	शिक्षक अभ्यार्थी से अभिप्राय है कि महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में कार्यरत स्थायी शिक्षक जिसने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया हो ।	अनुमोदन किया गया ।
11.	कोई प्रावधान नहीं ।	शिक्षक अभ्यार्थी पंजीकरण व परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्कों से मुक्त ।	अनुमोदन किया गया ।

शोध नियमों में संशोधन के संबंध में चर्चा के दौरान माननीय सदस्य डॉ. सी.एम. कटारिया द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोध निदेशक स्थानान्तरण होकर इस विश्वविद्यालय में आने पर उनके शोध निदेशक के रूप नये सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अर्थात् उनको शोध निदेशक के

रूप में स्वतः स्वीकृति मिलनी चाहिए। माननीय सदस्य श्री ओ. पी. महेन्द्रा एवं श्री जीतराम द्वारा भी उक्त सुझाव को उचित बताया गया। उक्त प्रावधान से संबंधित आदेश प्रसारित करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

6. बीकानेर विश्वविद्यालय का वित्त वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान का अनुमोदन :-

माननीय सदस्य श्री धर्म चन्द जैन द्वारा बजट प्राप्तियों के संबंध में यह जानना चाहा कि विकास शुल्क से विश्वविद्यालय को कितनी आय हो रही है। उनका सुझाव था कि विकास शुल्क से होने वाली आय को बजट प्रावधान में पृथक से अंकित किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य डॉ. बी. एस. आर्य द्वारा यह जानना चाहा कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता मद का पैसा महाविद्यालयों को जाना था वह विश्वविद्यालय से महाविद्यालय को नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त नियंत्रक को इस संबंध में महाविद्यालयों को शीघ्र इस मद का पैसा हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये तथा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों में विकास शुल्क से संभावित प्राप्त आय अंकित करने के भी निर्देश दिये गये। प्रस्तुत बजट नियमों का सर्वसम्मति से माननीय सदस्यगणों द्वारा अनुमोदन किया गया।

7. एम.एन. इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बीकानेर द्वारा सत्र 2005-06 में एम.एस.सी. उत्तरार्द्ध के छात्रों से अधिक फीस वसूल करने का प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत :-

एम.एन. इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बीकानेर के संबंध में वस्तुस्थिति का विवरण तथा द्वि-सदस्यीय समिति द्वारा जाँच रिपोर्ट से सदस्य सचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया। माननीय सदस्य डॉ. विमलेन्दु तायल तथा डॉ. सी. एम. कटारिया का यह मत था कि फीस का निर्धारण सम्पूर्ण कोर्स के लिए किया जाता है तथा कोर्स के प्रारम्भ में (एम.एस.सी. पूवार्द्ध) में निर्धारित फीस सम्पूर्ण कोर्स में लिया जाना उचित है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री जे.सी. बिश्नोई (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा) द्वारा भी राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26.7.05 को संदर्भ कराते हुए माननीय सदस्य डॉ. विमलेन्दु तायल व डॉ. सी.एम. कटारिया के मत से अपनी सहमति प्रकट की।

परन्तु अन्य माननीय सदस्यों का यह मत था कि जब विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से एम.ए. पूवार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध की शुल्क संरचना निर्धारित कर उक्त महाविद्यालय को यथासमय अवगत करा दिया गया था तो महाविद्यालय को इसकी पालना करनी चाहिए थी। यदि पालना करने में कोई कठिनाई थी तो महाविद्यालय प्रशासन को इस संबंध में विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाना चाहिए था। इन सदस्यों का यह भी मत था कि जाँच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि अन्य दो महाविद्यालय, तनवीर मालावत इन्स्टीट्यूट

आफ बॉयोसाईंस, बीकानेर तथा एम.डी. (पी.जी.) महाविद्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा एम.एससी. फाईनल के छात्रों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही वसूल किया गया। अतः जब उक्त अन्य दो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के आदेशों की पालना कर निर्धारित शुल्क प्राप्त कर चुके हैं तब एम.एन. इन्स्टीट्यूट, बीकानेर द्वारा अधिक फीस वसूल कर विश्वविद्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है। इस प्रकार एम.एससी. (उत्तरार्द्ध) के छात्रों के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। इसलिये माननीय सदस्यों का मत था कि एम.एन. इन्स्टीट्यूट द्वारा सत्र 2005-06 में एम.एससी. उत्तरार्द्ध के छात्रों से अधिक वसूल की गई राशि छात्रों को वापिस लौटाने हेतु लिखा जावे तथा यदि एम.एन. इन्स्टीट्यूट छात्रों को यह राशि नहीं लौटाता है तो उसकी संबद्धता को निरस्त करने के संबंध में विश्वविद्यालय आगामी कार्यवाही करे।

अतः बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि एम.एन. इन्स्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2005-06 में अधिक वसूली गई राशि छात्रों को वापिस लौटाई जाने के निर्देश जारी किये जावें। यदि संस्था उक्त राशि नहीं लौटाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता निरस्त की कार्यवाही की जावे।

8. श्री अरविन्द कुमार व्यास, स्टोर सहायक एवं श्री राम किशोर यादव, स्टेनोटाईपिस्ट को इनके गृह विभाग के लिए कार्यमुक्त करने हेतु निर्णयार्थ :-

सदस्य सचिव द्वारा विश्वविद्यालय में वर्तमान में पदस्थापन व कार्यरत कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए सदन का ध्यान आकर्षित किया कि विश्वविद्यालय में कार्मिकों की कमी है तथा कुछ कर्मचारी/ अधिकारी पदस्थापन पर अन्यत्र चले गये हैं तो कुछ पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में यदि इन दोनों कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में रखा जाता है तो विश्वविद्यालय को सहयोग रहेगा। सदस्य सचिव द्वारा इन दोनों कार्मिकों के संबंध में गत प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की पालना में राज्य सरकार को लिखे पत्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त पत्र के संबंध में सदन को अवगत कराया जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा बाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों कर्मचारी विश्वविद्यालय में उपलब्ध समकक्ष रिक्त पद पर यदि अपनी सहमति दे देंगे हैं तो इनके वर्तमान वेतन को संरक्षित करते हुए रिक्त पद पर समायोजित कर लिया जावे। यदि उक्त कर्मचारी उपरोक्तानुसार अपनी सहमति नहीं देते हैं तो पदों के अभाव में इनको इनके मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त कर दिया जावे।

9. श्री बृजमोहन पंचारिया, वरिष्ठ लिपिक के चिकित्सा व्यय बिलों के पुनर्भरण के संबंध में निर्णयार्थ :-

श्री बृजमोहन पंचारिया, वरिष्ठ लिपिक के संबंध में गत प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार गठित कमेटी के प्रतिवेदन के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा

सदन को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् इस कमेटी में सम्मिलित माननीय सदस्य श्री डी. सी. जैन तथा डॉ. सी. एम. कटारिया ने भी उक्त कर्मचारी के चिकित्सा बिल के संबंध में समिति द्वारा की गई जाँच के संबंध में विस्तार से सदन को अवगत कराया। विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री बृजमोहन पंचारिया द्वारा यद्यपि स्वयं द्वारा लिखित में यह दिया गया था कि वे विश्वविद्यालय से चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण नहीं लेंगे तथा इसी शर्त पर उनको विश्वविद्यालय में नियुक्ति हेतु स्वीकार किया गया था, अर्थात् उनकी स्वयं की वचनबद्धता के कारण चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण नहीं किया जाना चाहिए परन्तु कर्मचारी हित, राजकीय नियमों एवं मानवीय आधार पर चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण नहीं करना भी न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री बृजमोहन पंचारिया को विश्वविद्यालय में उपस्थिति की तिथि से चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण कर दिया जावे।

उपरोक्त मुख्य एजेण्डा के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य (टेबल एजेण्डा) बिन्दुओं पर लिये गये निणर्यों का विवरण निम्नप्रकार है :-

(1) स्वयंपाठी छात्रों के लिए वि.वि. के कार्यक्षेत्र में 2½ वर्ष के निवास की शर्त समाप्त करने के संबंध में :-

विश्वविद्यालय अध्यादेश 176 के अनुसार स्वयंपाठी छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए परीक्षा आवेदन के संबंध में विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र में कम से कम 2½ वर्ष से निवास की शर्त को समाप्त करने के संबंध में बाद विचार-विमर्श प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(2) पुनर्मुल्यांकन हेतु परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का पुनः निर्धारण :-

विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा में उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच हेतु परीक्षकों को म.द. स. विश्वविद्यालय, अजमेर के समान भुगतान किये जाने, परन्तु पुनर्मुल्यांकन में परीक्षकों को अधिक भुगतान किये जाने की स्थिति पर विचार-विमर्श किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2007 की परीक्षाओं से पुनर्मुल्यांकन हेतु देय पारिश्रमिक म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के समान कर दी जावे। यह राशि इस प्रकार रहेगी :-

- (i) स्नातक स्तर - 15/- प्रति उ. पु. (कम से कम 50/- रु)
- (ii) स्नातकोत्तर - 20 प्रति उ. पु. (कम से कम 50/- रु)

(3) नवीन सम्बद्धता / सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु नियुक्त निरीक्षकों को मानदेय प्रदान करना :

नवीन सम्बद्धता / सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु नियुक्त निरीक्षकों को महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिये सम्मान स्वरूप 300/- रुपये मानदेय दिये जाने के प्रस्ताव को माननीय सदस्यगणों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

(4) खेलकूद गतिविधियों में छात्रों को प्रोत्साहन के संबंध में :-

(i) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों को म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा दिये जा रहे स्पोर्ट्स किट टी.ए./डी.ए. एवं अन्य सुविधाओं के समान ही बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा सुविधाएं दिये जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

(ii) अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पारितोषिक राशि के रूप में पदक एवं कुछ नगद राशि विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर यह निर्णय लिया गया कि खेलकूद प्रतियोगिता के अनुसार दिये जाने वाले पदक व नगद राशि का निर्धारण कुलपति महोदय स्वयं अपने स्तर से करेंगे ।

(5) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण के संबंध में :-

सदस्य सचिव द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि दिनांक 11.9.2006 को माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में इस संबंध में आयोजित बैठक में राजकीय एजेन्सी से निर्माण कार्य कराने के संबंध में चर्चा की गई है। इस बैठक में कुलपति महोदय भी उपस्थित थे । सदस्य सचिव ने विश्वविद्यालय भवन के निर्माण में हुए विलम्ब एवं भवन निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय के अपर्याप्त भवन व स्थल की ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी भवन निर्माण की आवश्यकता से सदन को अवगत कराया गया तथा कार्यकारी एजेन्सी के रूप में (निर्माण के लिये) राजकीय संस्थान P.W.D., RSRDC द्वारा निर्माण कराये जाने के संबंध में पुनर्विचार करने का अनुरोध किया । माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि RSRDC अथवा Agriculture Marketing Board में से जो संस्था सुपरविजन चार्ज कम ले रही हो उससे निर्माण कार्य कराने के संबंध में प्रबन्ध मण्डल का निर्णय राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जावे । कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निर्माण प्रारम्भ करने पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्य के सुपरविजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक समिति का गठन करने एवं तकनीकी सुपरविजन हेतु विश्वविद्यालय के आर्किटेक्ट की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया ।

(6) माननीय सदस्य श्री डी. सी. जैन द्वारा प्रबन्ध मण्डल की तृतीय व चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन के लिए प्रस्तुत पत्र के संबंध में :-

सदस्य सचिव द्वारा माननीय सदस्य श्री डी. सी. जैन के प्राप्त पत्रों के संबंध में जानकारी देते हुए यह अवगत कराया कि यह बात सही है कि 6 जनवरी, 2006 के प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण बहुत ही संक्षिप्त में लिखा गया है जो विस्तार से लिखा जाना चाहिए था। सदस्य सचिव द्वारा श्री डी. सी. जैन के पत्र के संबंध में छात्रों के आंदोलन व फीस निर्धारण तथा भवन निर्माण से संबंधित बिन्दु का समाधान होने के

फलस्वरूप इस पर अब और किसी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं होना अवगत कराया। उन्होंने माननीय सदस्य श्री डी. सी. जैन से जानना चाहा कि वे यदि कोई प्रस्ताव अब रखना चाहे (जोकि 6, जनवरी, 2006 की बैठक के कार्यवाही विवरण में शामिल होने से रह गया है) तो रख सकते हैं। इस पर श्री जैन द्वारा यह कहा गया कि वे तो चाहते हैं कि बैठक की कार्यवाही विवरण बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार ही लिखा जाना चाहिए। इस पर सदस्य सचिव व माननीय अध्यक्ष द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण विस्तृत व समुचित विवरण दर्ज कर भिजवाया जावेगा।

7. राजस्थान प्रदेश के कुलपतियों की उच्च शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.04.06 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति के संबंध में :-

सदस्य सचिव द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 10(12)शिक्षा-3/2006 दिनांक 28.4.2006 के संबंध में सदन को अवगत करते हुए यह अवगत कराया कि इस पत्र के बिन्दु संख्या 3, 4, 5 के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा समिति गठित कर दी गई है तथा अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है। बाद विचार-विमर्श इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि गठित समिति की रिपोर्ट आने पर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जावे ताकि क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

8. कम्पनी सेक्रेट्रीशिप/CA/ICWA को स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मानते हुए पी.एच.डी. हेतु पंजीकरण के संबंध में :-

कंपनी सेक्रेट्रीशिप/सी.ए./आईसीडब्ल्यू को स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मानते हुए पी.एच.डी. पंजीकरण हेतु स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मानने के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि AIU तथा AICTE द्वारा यदि उक्त तीनों डिग्रियों को स्नातकोत्तर के समकक्ष स्वीकार किया गया है तो बीकानेर विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. पंजीकरण हेतु स्नातकोत्तर के समकक्ष माना जाकर पंजीकरण के योग्य मान लिया जावे।

9. बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रारम्भ किये गये विधि महाविद्यालय के संचालन के संबंध में :-

सदस्य सचिव द्वारा वर्तमान में चल रहे अध्ययनरत छात्र महाविद्यालय भवन तथा उपलब्ध शैक्षणिक व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया, जिस पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विधि महाविद्यालय हेतु एक प्राचार्य, 4 व्याख्याता, 1 पी.टी.आई. व 1 पुस्तकालयध्यक्ष के पूर्णकालिक पद स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे ।

उपरोक्त एजेण्डावार बिन्दुओं के अतिरिक्त माननीय सदस्यों की ओर से निम्न बिन्दुओं पर विचार किया गया :-

(1) माननीय सदस्य डॉ. विमलेन्दु तॉयल द्वारा स्पोर्ट्स की संबंधिता के संबंध में संबंधिता शुल्क नई फैकल्टी के रूप में चालू करने हेतु विश्वविद्यालय से जारी पत्र के संबंध में जानना चाहा, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह बताया गया कि स्पोर्ट्स को नई फैकल्टी के रूप में नहीं माना गया है । पत्र के ट्रान्सलेशन की कोई गलती हो सकती है जिसको दिखाया जाकर संशोधन जारी कर दिया जावेगा ।

(2) माननीय सदस्य श्री डी.सी. जैन द्वारा पुनर्मुल्यांकन के संबंध में परीक्षा परिणाम में हो रही विसंगतियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर यह जानना चाहा कि पुनर्मुल्यांकन में आने वाली भारी विसंगतियों संबंधित व्याख्याता के विरुद्ध क्या किया जा रहा है । माननीय सदस्य श्री ओ. पी. महेन्द्रा तथा श्री जीत राम द्वारा भी ऐसी विसंगतियों से संबंधित व्याख्याताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया । जिस पर विस्तार से विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पुनर्मुल्यांकन कार्य को अधिक प्रभावी बनाये जाने के संबंध में प्रबन्ध मण्डल के किसी सदस्य के संयोजन में एक समिति का गठन किया जावे जो शीघ्र अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे ।

(3) माननीय सदस्य श्री धर्मचन्द जैन द्वारा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के आयोजन के लिए भी ध्यान आकर्षित किया गया जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया कि दीक्षान्त समारोह शीघ्र ही आयोजित करने के संबंध में कार्यवाही की जावेगी ।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई ।


कुलसचिव
5/4/2006.